

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification
Creation of New Village

Published By

Name Mohd.Salim Khan
Designation Deputy Registrar Land Record
Mobile no. 9461429781
IP Address 164.100.145.30
On date 20/05/2024

Proposed By

Name BORTDRLR
Designation Tehsildar
Mobile no. 9461429781
IP Address 164.100.145.30
On date 08/05/2024

District Name Barmer
Sub District Name Gadraroad
Village Name (In English) Barmer Ka Par
Village Name (In Local language) बाड़मेर का पार
Village Effective Date 04/10/2013
Village Status Inhabitant
How to Village is Formed? New Village Created by Existing Village.

CONTRIBUTED VILLAGES LIST

Village Code	Village Name	Coverage Type
86618	Rohidaala	PART

राजस्थान-सरकार
राजस्व(गुप-1) विभाग

क्रमांक:प.9(116)राज./ गुप-1/2013

जयपुर, दिनांक :- 04-10-2013

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, 15) की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला बाडमेर की तहसील सेडवा व शिव के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र० सं	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हेक्टर में)		दूरी कि.मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बाडमेर / सेडवा	गिडा	1395	1745	गोदारों की ढाणी अर्जनसर	358	386.00	2.5	1359
2		डोब की वेरी	781	828	मगनाबाडी	284	189.00	03	485
3					देवनगर	243	154.00	03	
4	बाडमेर / शिव	रोहीडाला	876	7230	बाडमेर का पार	206	1107.00	08	6123
5					रामदेव नगर	221	1298.00	1.5	4825

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, बाडमेर को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

रेवड
7/10/13

आज्ञा से,

(सूबेसिंह यादव)

संयुक्त शासन सचिव